


14.06.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद
अवलोकन पाया कि पत्रावली मे अपेक्षित कार्यवाही
नही की जा रही। प्रार्थी अधिवक्ता को पूर्व मे कई
अवसर दिये जा चुके है। पूर्व पेशी 22.03.'2024
को अंतिम अवसर दिया गया था आज तक अमल
नही किया गया। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को
बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के
उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही
आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही
आने के कारण प्रार्थना पत्र अदम पैरवी/अदम
हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर
से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ